रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004 9

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1211] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2006/आश्विन 18, 1928
No. 1211] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2006/ASVINA 18, 1928

श्रम और जगार मंत्रालय

(बाल अनुभाग)

अ सूचना

नई दिल्ली, अक्तूबर, 2006

का.आ. 1742(अ). जबकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 (986 का 61) की अनुसूची में आगे संशोधन करने से संबंधित प्रस्त के प्रारूप को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1(6 (1986 का 61) की धारा 4 की अपेक्षानुसार भारत के राजप असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 1(ुलाई, 2006 को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दि क 10 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1029(अ) के : र्गत प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके इस प्रभावित होने की संभावना हो, से उक्त अधिसूचना से संबंधित स कारी राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध करवाये जाने की ारीख से तीन माह की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव म गये थे;

और जबकि उक्त राजप आम जनता को 10 जुलाई, 2006 को उपलब्ध करवा दिया गया ;

और जबकि उक्त अधि ना के संबंध में आम जनता से तीन माह की उक्त अवधि के भीत कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अत:, अब बाल श्रम (तिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की ा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर एतद्द्वारा उक्त अ नियम की अनुसूची में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है तथा निदेश देती है कि वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएंगे, अर्थात् :-

संशोधन

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 (1986 का 61) की अनुसूची में, भाग-क में "व्यवसाय" शीर्षक के अंतर्गत :-

मद (13) के पश्चात् तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मदें तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"(14) घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन;

(15) ढाबों (सड़क के किनारे खान-पान के ठिकानों), रेस्तरां, होटलों, मोटलों, स्पा या अन्य मनोरंजन केन्द्रों में बच्चों का नियोजन ।"

[फा. सं. एस-27012/3/97-सी.एल.]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : अनुसूची में संशोधन संबंधी प्रथम अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 1986 के संख्या का.आ. 61 द्वारा जारी की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नांकित द्वारा संशोधित किया गया :-

(16) का.आ. 404(अ), दिनांक 5 जून, 1989

(17) का.आ. 263(अ), दिनांक 29 मार्च, 1994

(18) का.आ. 36(अ), दिनांक 27 जनवरी, 1999

और पिछली बार इसे दिनांक 10 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 293(अ) के द्वारा संशोधित किया गया ।

IndiaCode

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Child Labour Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2006

S.O. 1742(E)—. Whereas the draft of the proposal further to amend the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) was published, as required by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 10th July, 2006 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1029 (E), dated 10th July, 2006 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of three months from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said Gazette was made available to the general public on the 10th July, 2006;

And whereas, no objections and suggestions on the said draft notification were received from the general public within the said period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, (61 of 1986), the Central Government on the recommendations of the Child Labour Technical Advisory Committee, hereby makes the following amendments further to amend the Schedule to the said Act and directs that they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, (61 of 1986), in Part A, under the heading "Occupations" :—

after item (13) and the entry relating thereto, the following items and entries shall be added, namely :—

"(14) Employment of child as domestic workers or servants;

(15) Employment of children in dhabas (road-side eateries), restaurants, hotels, motels, tea-shops, resorts, spas or other recreational centers".

[F. No. S-27012/3/97-CL]

S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Footnote: The first notification to amend the Schedule was issued *vide* number S.O. 61dated the 23rd December, 1986 and subsequently the same was amended *vide* number :—

(16) S.O. 404 (E), dated the 5th June, 1989

(17) S.O. 263 (E), dated the 29th March, 1994

(18) S.O. 36 (E) dated the 27th January, 1999

and last amended *vide* notification No. 293 (E) dated the 10th May 2001.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.